

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। उक्त दुरस्ती को करने हेतु सक्षम लिखित में की गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश किये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रार्थी का नाम	संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
31051	131	बीर माराम पुत्र उजामा जाति - जाट	108, 95 कुल 12	12-60	बीर माराम पुत्र उजामाराम जाति - जाट	108 95 कुल 12	12-60

क्रमांक :-

197

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

12.10.21

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रसादी

(अतिरिक्त पंजीकृत कलेक्टर, डीडब्लूओ)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

शिविर प्रसादी

(अतिरिक्त पंजीकृत कलेक्टर, डीडब्लूओ)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर